

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 6

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राककथन		ix
कार्यपालन सारांश		xi
अध्याय 1		
राज्य सरकार के वित्त		
राज्य की रूपरेखा		1
प्रस्तावना	1.1	2
2015–16 में राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान और वास्तविक आंकड़े	1.1.3	5
जेप्डर बजटिंग	1.1.4	5
राज्य के संसाधन	1.2	7
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर सीधे निधियों का अंतरण	1.2.2	9
राजस्व प्राप्तियां	1.3	10
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	12
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.2	14
केन्द्रीय कर अंतरण	1.3.3	15
तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग	1.3.4	15
वर्ष 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा एवं वर्ष 2015–16 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अवार्ड किए गए करों एवं अनुदानों के हस्तांतरण की तुलना	1.3.5	16
संभावित राजस्व की हानि (Foregone Revenue)	1.3.6	16
‘खाली भूमि एवं कृषि के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई भूमि के अंतरण पर’ उपकर जो कि निरर्थक / अप्रयुक्त रहा	1.3.7	17
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	18
विनिवेश से प्राप्ति	1.4.1	18
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां	1.4.2	18
लोक ऋण प्राप्तियां	1.4.3	18

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
लोक लेखे प्राप्तियां	1.5	19
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	19
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.6.1	19
पूंजीगत व्यय की संवृद्धि की प्रवृत्ति	1.6.2	22
राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति	1.6.3	23
वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं राजसहायताओं पर व्यय	1.6.4	24
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.6.5	27
स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण	1.6.6	27
व्यय की गुणवत्ता	1.7	28
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	29
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	30
शासकीय व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	31
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.8.1	31
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	32
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.8.3	33
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.8.4	33
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	1.9	35
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना	1.9.1	35
राजकोषीय देयताएं	1.9.2	35
समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना	1.9.3	37
प्रत्याभूतियों की स्थिति—आकस्मिक देयताएं	1.9.4	37
असंचालित आरक्षित निधियाँ	1.9.5	38
ऋण प्रबंधन	1.10	38
ऋण संधारणीयता	1.10.1	38
ऋणेत्र प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.10.2	39
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	1.10.3	39
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा	1.10.4	40
उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)	1.10.5	40
राजकोषीय असंतुलन	1.11	41

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप	1.11.1	42
घाटे /आधिक्य की गुणवत्ता	1.12	43
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	1.13	44
अध्याय 2		
वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	47
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	47
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	48
आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग— सारभूत बचतें	2.3.1	48
सतत बचतें	2.3.2	49
योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय	2.3.3	50
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	50
विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है	2.3.5	50
अनावश्यक /अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.3.6	51
निधियों का अत्यधिक /अनावश्यक पुनर्विनियोग / समर्पण	2.3.7	51
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.8	52
निधियों के पुनर्विनियोग /समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियाँ	2.3.9	52
व्यय की अत्यधिकता	2.3.10	52
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.3.11	53
बिना प्रावधान के किए गए व्यय	2.3.12	53
अवास्तविक बजट अनुमान	2.3.13	53
पूँजीगत अनुभाग एवं राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.3.14	53
जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए बजट आवंटन की बचतों को समर्पित नहीं किया जाना	2.3.15	54
चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.4	54
सारांशीकृत स्थिति	2.4.1	55
सतत बचतें	2.4.2	55
महत्वपूर्ण बचतें	2.4.3	56

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
चयनित अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान	2.4.4	56
बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण	2.4.5	56
केंद्रीय निधियों का सिविल जमा में रखना	2.4.6	57
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	2.5	57
अध्याय 3		
वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	59
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.2	60
दुर्विनियोग, हानियां, गबन इत्यादि की सूचना	3.3	61
संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब	3.4	63
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.5	63
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.6	64
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता	3.7	65
पूर्व वर्षों के दायित्वों का भुगतान आगामी वर्षों के बजट से किया जाना	3.8	65
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.9	66
निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों का प्रस्तुतीकरण	3.10	67
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.11	68
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	3.12	72

परिशिष्ट

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	75
1.2 भाग—क	सरकारी लेखों की संरचना	76
1.2 भाग—ख	31 मार्च 2016 को पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	77
1.3 भाग—क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	78
1.3 भाग—ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	79
1.4	राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	81
1.5 भाग—क	वर्ष 2015–16 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	84
1.5 भाग—ख	31 मार्च 2016 को मध्य प्रदेश सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	87
1.6	श्रेणी 1 एवं 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट के उपयोगिता में कमी का विवरण	89
1.7	2015–16 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का अधिकतम उपयोग (₹ 10 लाख या उससे अधिक)	91
1.8—क	राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तांतरण	92
1.8—ख	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्यों का हस्तांतरण	92
1.9	31 मार्च 2016 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति, अद्यतन वर्ष जिसके लिये लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था	94
1.10	जून 2016 तक विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं की स्थिति	96
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों जिनमें बचतें ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र	97
2.2 (क)	तालिका 2.2 में दिए गए अनुदानों/विनियोगों से संबंधित योजनाओं के प्रकरण जिनमें सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ या अधिक) हुईं	100

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.2 (ख)	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आधिक्य व्यय जिनमें प्रत्येक में व्यय ₹ 10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, का विवरण पत्र	108
2.2 (ग)	योजनाओं के प्रकरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	111
2.3	पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	118
2.4	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	119
2.5	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	121
2.6	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	122
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुई हैं परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	125
2.8	31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ या अधिक के निधियों के समर्पण के प्रकरण	126
2.9	निधियों की पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां	129
2.10	व्यय की अत्यधिकता	130
2.11	8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में निधियों का अंतरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	133
2.12	ऐसे प्रकरण जिनमें पिछले तीन वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ या अधिक के संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे	134
2.13 (क)	पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	135
2.13 (ख)	राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक)	136
2.14	चयनित अनुदानों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचतें, जहाँ बचतें ₹ पांच करोड़ या अधिक थीं	137

सरल क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.15	पूंजीगत अनुभाग से संबंधित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उद्देश्य शीर्ष 63—मशीन के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान राशि ₹ एक लाख तथा अधिक का राजस्व अनुभाग में वर्गीकरण	138
3.1	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति	139
3.2	दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार/अवधिवार व्यौरा	141
3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के प्रकरणों के संबंध में मुख्य शीर्ष वार/संवर्गवार विवरण	143
3.4	2015–16 के दौरान अपलेखित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष वार विवरण	144
3.5	2015–16 के दौरान हानि के मामलों में सूचित की गई वसूली	145
3.6	संचालक, नागरिक विमानन विभाग के भण्डार में आयटम्स की कमी	149
3.7	लघु शीर्ष ‘800—अन्य व्यय’ के अंतर्गत दर्ज किया जाना	150
3.8	लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियों’ के अंतर्गत दर्ज किया जाना	152
3.9	सिंहस्थ 2016 से संबंधित देयताएँ	153
3.10	बैंक खातों के अनियमित संधारण को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	154